Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 20/2024 सी.आई.एस.क्र.– 20/2024

कुमारी छाया उर्फ विभा बनाम शंभु पंडित एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
04.04.2026	वादी एवं प्रतिवादी सं0 5, 9 एवं 10 तथा 11 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। अन्य प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद प्रतिवादी सं0 9 और 10 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.07.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर उक्त प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रतिवादीगण नियत समय के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 9 और 10 की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन दिनांक 29.07.2025 को ग्रहण करने की कृपा की जाये। वादी एवं प्रतिवादी सं0 11 की ओर से इस आवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। शेष प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। इस कारण से शेष प्रतिवादी को प्रतिउत्तर एवं सुनवाई से वंचित किया गया। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं0 9 और 10 इस वाद में दिनांक 13.11.2024 को उपस्थित हुये परंतु उनके द्वारा नियत समय के भीतर लिखित कथन नहीं प्रस्तुत किये जाने के कारण उन्हें दिनांक 25.04.2025 को लिखित कथन देने से वंचित कर दिया गया है। उक्त प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 29.07.2025 को लिखित कथन प्रस्तुत कर दिनांक 13.11.2024 के आदेश को इस आधार पर वापस लेने का निवेदन किया गया है कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहने के कारण वह नियत समय में लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सके थे। प्रतिवादी सं0 9 एवं 10 वाद में संघर्ष करने के लिये तैयार हैं। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाये। अतः प्रतिवादी सं0 9 एवं 10 के इस आवेदन को न्यायहित में **500 रूपये खर्च पर स्वीकृत** कर उनके लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है। इस वाद में प्रतिवादी सं0 1, 2, 5 एवं 11 का लिखित कथन पूर्व में प्राप्त है जिसे ग्रहण किया जाता है। शेष प्रतिवादी सं0 3, 4, 6 से 8 का तामिला अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अनुपस्थित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु उचित उपाय करे। वाद आगामी दिनांक 18.04.2026 वास्ते उपस्थिति। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	